बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

मंगलवार, तिथि 28 अगस्त, 1984 ई० ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 4 (ii) के परन्तुक के अन्तर्गत सभा के मेज पर रखे गए अनागत तारांकित प्रश्नोत्तर	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
अतारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : 23, 24, 26, 27	1—9
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : 146, 694, 695, 1580, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588 ।	10—26
परिशिष्ट-1 : (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	27—68
परिशिष्ट-2 : (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	69—142
दैनिक निबंध :	143-144

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है ।

(3) क्या यह बात सही कि श्री प्रसाद को पांच वर्षों से अधिक एक स्थान पर रहने एवं आरोपों के कारण तीन बार स्थान्तरण हुआ, लेकिन पुनः मार्च 1983, अप्रील 1983 और सितम्बर 1983 कुल तीन बार स्थानान्तरण स्थगित किया गया ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित आरोपों की जांच कराते हुए श्री प्रसाद को शीघ्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) पुलिस एसोसिएशन द्वारा डॉ० बी० के० प्रसाद के विरूद्ध शिकायत किया गया था। असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा जांचोपरान्त डॉ० प्रसाद निर्दोष पाये गये।

(3) अधिसूचना संख्या 1008 (2), दिनांक 24 फरवरी, 1982 द्वारा डॉ० प्रसाद को टंडवा प्रखण्ड हजारीबाग में स्थानान्तरित किया गया अधिसूचना संख्या 39 (2), दिनांक 14 जनवरी 1983 द्वारा मार्च 1983 तक एवं पुनः अधिसूचना संख्या 339 (2), दिनांक 13 अप्रैल, 1983 द्वारा अगले आदेश तक डॉ० प्रसाद का स्थानान्तरण स्थगित कर दिया गया है।

(4) उपरोक्त खण्ड (2) एवं (3) में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।
डॉ० बी० के० प्रसाद का स्थानान्तरण सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

विद्यालय की मरम्मत।

क-104. श्रीमती ब्यूला दोजा—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखण्ड के लगुआ ग्राम में माध्यमिक विद्यालय है जिसका भवन ध्वस्त हो गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय भवन की मरम्मती हेतु वर्ष 1981-82 में 20 हजार रु० तथा 1982-83 में 40 हजार रुपये आवंटित किए गये थे, लेकिन उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा रुपये लौटा दिए गए, यदि हां, तो क्यों

तथा क्या सरकार उक्त विद्यालय को मरम्मत कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री,—(1) वस्तुस्थिति यह है कि बारसोई प्रखण्ड के लगुआ ग्राम में एक प्राथमिक विद्यालय है जिसकी अपनी जमीन नहीं है। ग्रामीणों द्वारा बिहार सरकार की जमीन पर एक फूस की कोठरी का निर्माण किया गया है जिसमें विद्यालय का कार्य चल रहा है।

(2) उत्तर नकारात्मक है। इस विद्यालय का अपना भवन नहीं है। अतः वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में इस विद्यालय को मरम्मती हेतु राशि देने का प्रश्न नहीं उठता है।

विद्युत की आपूर्त्ति।

य-9. श्री युगेश्वर झा—क्या मंत्री, विद्युत विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधवापुर प्रखण्ड के बासुकी बिहारी, बेंगरा, सुजातपुर एवं सलेमपुर पंचायतों में बिजली का पोल एवं तार लगा दिया गया है, परन्तु अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो वर्णित पंचायतों में विद्युत् कनेक्शन अभी तक नहीं दिए जाने का क्या औचित्य है इसके लिए कौन जिम्मेवार है और क्या सरकार वहां अविलम्ब विद्युत् की सुविधा देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) माधवपुर प्रखण्ड के बासुकी बिहारी एवं बेंगरा पंचायत के क्रमशः दो एवं चार ग्रामीणों, जिन्होंने औपचारिकतायें पूरी की थी, को विद्युत् संबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त अभी तक विद्युत् संबंध के लिए किसी उपभोक्ता ने आवेदन नहीं दिया है। उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन एवं अन्य औपचारिकताएं पूरी करने पर उन्हें विद्युत् संबंध दिया जायगा।

(2) कंडिका (1) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।